झारखण्ड सरकार

# नगर विकास एवं आवास विभाग

## झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार

## (Jharkhand Real Estate Regulatory Authority)

कार्यालय–जुडको लिमिटेड, तृतीय तल, आर0आर0डी0ए0 भवन (प्रगति सदन),
कचहरी चौक, राँची, झारखंड, पिन कोड–834001

## आम सूचना

पत्र संख्या–4899 दिनांक–31.07.17

**विषयः झारखंड राज्य में भू–संपदा परियोजनाओं (Real Estate Projects) का अनिवार्य रूप से निबंधन कराने हेतु आवेदन समर्पित करने की तिथि को दि०–31.08.17 तक विस्तारित करने के संबंध में।**

पूर्व में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार द्वारा भू–संपदा परियोजनाओं (Real Estate Projects) का अनिवार्य रूप से निबंधन कराने के संबंध में, आम सूचना दिनांक–27.07.17 को विभिन्न समाचारों पत्रों में प्रकाशित की गई थी।

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की कंडिका–3 तथा झारखंड भू–सपंदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत, वैसे भू–संपदा परियोजनाओं का, जिनका अधिभोग प्रमाण–पत्र (Occupancy Certificate) संबंधित प्राधिकार/निकाय से प्राप्त नहीं है, को उक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत् **निबंधित कराया जाना अनिवार्य है।**

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की कंडिका–3 में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 03 महीने के अन्दर उक्त प्रकार की भू–संपदा परियोजनाओं (Real Estate Projects) के निबंधन हेतु आवेदन समर्पित किया जा सकता है।

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 के प्रवृत्त होने की तिथि 01 मई, 2017 निर्धारित की गई है। इस प्रकार उपरोक्त से संबंधित आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि–31.07.2017 है।

राज्य में भू–संपदा परियोजनाओं (Real Estate Projects) के निबंधन से संबंधित अपेक्षाकृत कम आवेदन प्राप्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न कारणों से आवेदन देने के इच्छुक होते हुए भी बिल्डर्स/प्रोमोटर्स द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया जा सका है।

अतएव, सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भू–संपदा परियोजनाओं (Real Estate Projects) से संबंधित निबंधन हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि **दि०–31.08.17** के अपराह्न 05:00 बजे तक विस्तारित की जाती है।

निबंधन हेतु शुल्क एवं प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।

उक्त अधिनियम तथा नियमावली नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in (**Path-**Notification and Document-Important Document-Act) पर उपलब्ध है।

ह0 / –
**(गजानन्द राम)**
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार